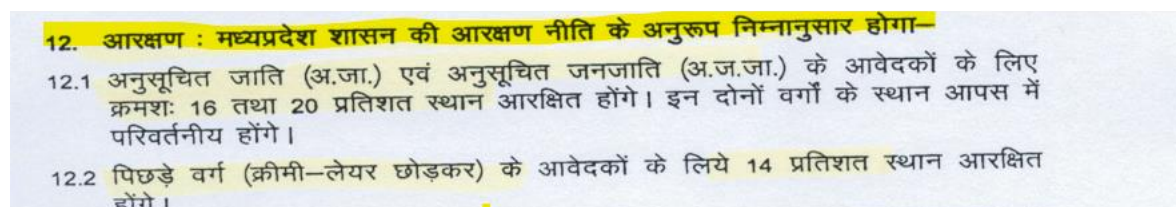


Guidelines and Principles for Admission and Entrance Rules
for Undergraduate and Postgraduate Courses in
Government/Private Colleges of Madhya Pradesh
(Session 2018-2019)

Page No. 15/20

Hindi Transcript



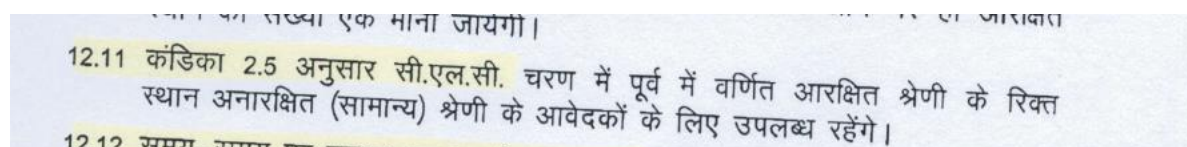
English translation:

12. Reservation: As per the reservation policy of the Government of Madhya Pradesh, the following will apply -

12.1 For applicants belonging to Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST), 16% and 20% of seats will be reserved respectively. The distribution of seats within these two categories will be interchangeable.

12.2 For applicants from Other Backward Classes (excluding the creamy layer), 14% of seats will be reserved.

Hindi Transcript



English translation:

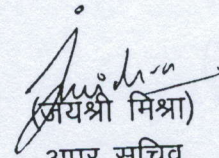
12.11 As per point 2.5, if the reserved category applicants are not available for the vacant reserved seats at College level Counseling (CLC), the respective vacant seats will remain available for applicants from the general category.

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 8 मई 2018

क्रमांक ५१३/११६/सीसी/ -अड़तीस-माननीय कुलाधिपति जी द्वारा दिये गये अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन सत्र 2018-19 के लिए मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत तथा अकादमिक कैलेण्डर एतद् द्वारा जारी किये जाते हैं।
(संलग्न:- उपरोक्तानुसार)

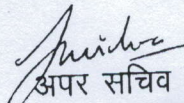

(ज्योती मिश्रा)

अपर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

पृ०क्रमांक ५१५/११६/सीसी/ -अड़तीस,
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 8 मई 2018

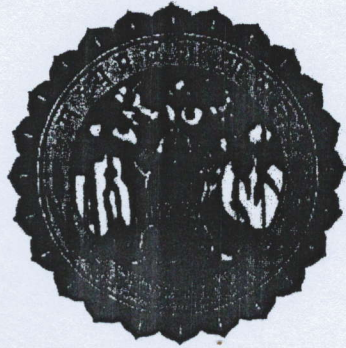
1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, भोपाल म.प्र.।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
3. स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र.।
6. कुलसचिव, भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/उज्जैन/छतरपुर म.प्र.
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
9. प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
10. राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), विन्ध्याचल भवन, भोपाल म.प्र. की ओर कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी आई.टी. सेल, कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


अपर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन



प्रवेश नियम

एवं

मार्गदर्शी सिद्धान्त

सत्र : 2018-2019

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

किसी एक विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य किसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की दशा में पात्रतानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण : मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा—

- 12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए क्रमशः 16 तथा 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे।
- 12.2 पिछड़े वर्ग (क्रीमी-लेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।
- 12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/नातीयों/नातिनों, भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों एवं भूतपूर्व तथा कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों/सेन्ट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चों के लिए तथा इन वर्गों के दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 05 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे। इससे संबंधित दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों से ही उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेना के कर्मियों/अधिकारियों का प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा
 1. युद्ध के दौरान शहीद की विधवा एवं उनके आश्रित।
 2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत सैनिकों एवं उनके आश्रित।
 3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित।
 4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से निःशक्तजन तथा उनके आश्रित।
 5. निम्न शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित—परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मैडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मैडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मैडल, सेना, नौसेना/वायु सेना मैडल पत्रों में उल्लेख।
 6. राष्ट्रपति का वीरता हेतु पुलिस मैडल, वीरता हेतु पुलिस मैडल
 7. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित।
 8. कार्यरत सैनिकों के आश्रित।
- 12.4 दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान से ही उपलब्ध कराया जावेगा। दिव्यांगों को प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
- 12.5 एन.सी.सी. 'सी' प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण आवेदकों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर महाविद्यालय में स्वीकृत स्थान का 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।
- 12.6 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.7 उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालय, आयुक्त, कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों,

ग्रंथपालों, क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पाल्यों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायेंगे।

- 12.8 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार यदि अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में आता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी अन्य संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का है तो संबंधित संवर्ग की सीट उस विशिष्ट आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी। संबंधित विशिष्ट संवर्ग की शेष सीटें पात्रतानुसार भरी जायेंगी।

12.9 अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश:

अल्पसंख्यक संस्थाओं को उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल (<http://www.mphighereducation.nic.in>) पर रजिस्टर करना होगा एवं उनके संस्थान में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों, उनकी सीट संख्या, शुल्क आदि की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना होगा एवं इन पाठ्यक्रमों का सत्यापन सम्बन्धित मैपिंग महाविद्यालय से निर्धारित तिथि तक करवाना होगा।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अजजा/अजा/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का बंधन नहीं होगा। अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनके यहाँ प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी विभाग के ई-प्रवेश पोर्टल (www.epravesha.nic.in) पर उपलब्ध ऑनलाईन माड्यूल में दर्ज करनी होगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सारणी अनुसार रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से सम्पन्न करना होगा।

- 12.10 आरक्षित स्थान का प्रतिशत यदि आधे से कम आता है तो उसी श्रेणी में आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। आधे से एक प्रतिशत के बीच आने पर ही आरक्षित स्थान की संख्या एक मानी जायेगी।

- 12.11 कंडिका 2.5 अनुसार सी.एल.सी. चरण में पूर्व में वर्णित आरक्षित श्रेणी के रिक्त स्थान अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

- 12.12 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

- 12.13 ऐसे पाठ्यक्रम जिनके अध्यादेश में प्रवेश लिखित परीक्षा के माध्यम से दिया जाना उल्लेखित हो: पात्र आवेदकों को पोर्टल पर पंजीयन कराते हुए संबंधित संस्था एवं पाठ्यक्रम हेतु वरीयता दर्ज करना होगा। संबंधित संस्था पंजीकृत आवेदकों की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर नियमानुसार प्रवेश देंगी तथा प्रवेशित आवेदकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज करेंगी।

13. अधिभार :

अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जानकारी प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है। सत्यापन के लिये आवेदन पत्र में उल्लेखित संबंधित प्रमाणपत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होंगे। विशेष परिस्थितियों में सत्यापन के बाद, प्रस्तुत अन्य प्रमाण पत्रों पर, अधिभार हेतु